भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 898

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग

898. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (एन.एच) का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पंजाब सरकार से नए राजमार्गों के निर्माण या विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पंजाब राज्य में छह राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) अर्थात् राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-5, राष्ट्रीय राजमार्ग-54, राष्ट्रीय राजमार्ग-354, राष्ट्रीय राजमार्ग-354बी, राष्ट्रीय राजमार्ग-503ए और राष्ट्रीय राजमार्ग-503डी गुरदासपुर जिले से होकर गुजरते हैं और पाँच राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-5, राष्ट्रीय राजमार्ग-44, राष्ट्रीय राजमार्ग-54, राष्ट्रीय राजमार्ग-154 और राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पठानकोट जिले से होकर गुजरते हैं।

(ख) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को समय-समय पर पंजाब सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्यीय राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य की सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात स्तर और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर समय-समय पर राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने के निर्णय लिए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, यातायात की आधिक्यता, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर नई परियोजनाएँ शुरू की जाती हैं। पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संपर्कता में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** पर संलग्न है।

अनुबंध

"पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग" के संबंध में श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 898 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत (टीपीसी) करोड़ रुपये में	स्वीकृति की तिथि	लंबाई	राज्य
1	ईपीसी मोड पर एनएच-07 खंड सुलेमानकी सीमा - फाजिल्का के किमी 17.600 से 21.350 तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन	29.97	04.06.2025	3.75	पंजाब
2	पंजाब राज्य में एनएच-148बी के खंडों (किमी 234.900 से किमी 244.750 तक और किमी 287.710 से किमी 349.640 तक) और एनएच-703 (किमी 182.750 से किमी 189.240 तक) का सुदृढ़ीकरण	87.08	27.05.2025	65.45	पंजाब
3	हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच(ओ) के तहत 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास (एनएच-7 (जीरकपुर-पटियाला) जंक्शन से शुरू होने वाले (डिजाइन चैनेज 0+000) और एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) जंक्शन पर समाप्त होने वाले (डिजाइन चैनेज 16+800) (कुल लंबाई 19.200 किमी) का निर्माण	1878.31	17.04.2025	19.20	पंजाब और हरियाणा

*****